



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Jyoti Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-195#दिनांक:- 10/5/2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्षों में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री मानसिंह चौधरी पुत्र श्री कालूराम चौधरी (दी फॉरेस्ट व्यू कॉ.ओ.सो.लि. की योजना मोनिका विहार-द्वितीय)	A 120	355.55
2	श्री अजोध्या देवी पत्नी स्व. श्री रामस्वरूप भार्गव (हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना महावीर नगर-सी)	12	208.00
3	श्री रवीकेश बंसल पुत्र श्री रामगोपाल (हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना प्रजापति विहार)	173	223.00
4	श्री राहुल श्रीवास्तव एवं श्री गोविन्द श्रीवास्तव पुत्रान स्व. श्री रमाकान्त श्रीवास्तव (हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना विनायक विहार)	138	104.16
5	श्री राजेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन (रामनगर ग.नि.स.स.लि. की योजना शिव विहार)	107	136.96
6	श्री अर्जुन चौधरी पुत्र श्री कैलाश चौधरी (रामनगर ग.नि.स.स.लि. की योजना शिव वाटिका-ए)	61 SP	320.59
7	श्रीमती ज्योति अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश कुमार अग्रवाल (हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना प्रजापति विहार)	A 3	278.00
8	श्रीमती कविता पत्नी श्री मदन मोहन (हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना प्रजापति विहार)	119-A	240.00
9	श्री विक्रम कुमार पारीक पुत्र श्री सतीश पारीक (हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना शिव वाटिका-सी)	101	231.00
10	श्री विनोद कुमार भाटिया पुत्र श्री नन्द लाल (हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि. की योजना क्षीर सागर)	128	127.77

11
उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें।
उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

10/01/2022
12-5-22

उपायुक्त


जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-893

दिनांक:-12/5/2022

आम-सूचना

अमृतपुरी विकास गृ0नि0स0स0 की योजना अमृत नगर-ए के भूखण्ड संख्या 9 लीजडीड जारी करने हेतु श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह द्वारा आवेदन किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की लीजडीड श्री राजेन्द्र सिंह के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेगा।


उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपी:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त/जोन-7
जविप्रा,जयपुर

PROR-341
12.5.22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-851

दिनांक:- 6.5.22

आम-सूचना

श्री गणपति गृ0नि0स0स0 की योजना गणेश नगर करधनी के भूखण्ड संख्या 120 की लीजडीड जारी करने हेतु श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री तारा चन्द कुमावत द्वारा आवेदन किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की लीजडीड श्रीमती केसर देवी के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेगा।


उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपी:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।


उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PR/R-347
13.5.22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-897

दिनांक:- 12/5/2022

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री समीर अद्रेला कासलीवाल द्वारा भूखण्ड संख्या 52 आफिसर्स कैम्पस का फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा श्रीमती सईदा बेगम को जारी किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती सईदा बेगम द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री संजय कासलीवाल को किया गया है। श्री संजय कासलीवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं श्री संजय कासलीवाल द्वारा श्री समीर अद्रेला कासलीवाल के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत वसीयतनामा की प्रति के आधार पर आवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा आवेदक के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

Sd.

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपी:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

PR/1-346
13.5.22

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2021-22/101796

दिनांक: 11/05/2022

लोक सूचना

आलोक मित्तल पुत्र श्री शरदकुमार जाति अग्रवाल महाजन सा.देह. खातेदार, पीयूष मित्तल पुत्र शरदकुमार जाति अग्रवाल, सा.देह. खातेदार मनीष मित्तल पुत्र श्री शरद मित्तल खातेदार, श्रीमती शांति मित्तल पत्नी श्री शरदकुमार जाति अग्रवाल सा. देह. खातेदार जरिये मुख्यारआम श्री मनीष मित्तल पुत्र श्री शरद मित्तल निवासी-30, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।


ये इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का अवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सांगानेर (करबा) सांगानेर (जयपुर)	आलोक मित्तल पुत्र श्री शरदकुमार हि. 1/4, जाति अग्रवाल महाजन सा.देह. खातेदार, पीयूष मित्तल पुत्र शरदकुमार हि. 1/4, जाति अग्रवाल, सा.देह. खातेदार मनीष मित्तल पुत्र श्री शरद मित्तल हि. 1/4, खातेदार, श्रीमती शांति मित्तल पत्नी श्री शरदकुमार हि. 1/4, जाति अग्रवाल सा.देह. खातेदार	1163	1000	0.10
			1164/2	5600	0.56
			1165	6600	0.66
			1171	4800	0.48
कुल					1.80

इसलिए, इसका द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम सभ्य के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **11-05-2022** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर